



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 592 राँची, गुरुवार,

5 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

3 अगस्त, 2023

संख्या-5/आरोप-1-98/2017-23311(HRMS)--श्री जय प्रकाश नारायण, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-192/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्टा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं0-1. मानव दिवस सृजन मनरेगा योजनाओं के उद्देश्य के पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत पर सृजित किया जाना है, परन्तु बरकट्टा प्रखण्ड में प्रति पंचायत प्रतिदिन औसतन 100 मानव दिवस के विरुद्ध अभी मात्र 37 मानव दिवस का सृजन हुआ है।

आरोप सं0-2. DBT. मनरेगा योजनाओं में मजदूरों का मजदूरी भुगतान शतप्रतिशत DBT के द्वारा की जानी है परन्तु बरकट्टा प्रखण्ड में कुल सक्रिय मजदूर 10654 के विरुद्ध मात्र 6374 मजदूरों का भुगतान ही DBT द्वारा की गयी है जो कुल सक्रिय मजदूर का मात्र 60% है।

आरोप सं0-3.Status of Dobha मनरेगा अंतर्गत जल संचयन हेतु बरकट्टा प्रखण्ड में डोभा निर्माण का लक्ष्य 819 के विरुद्ध मात्र 119 पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है।

आरोप सं0-4 Status of Job Card Verification- बरकट्टा प्रखण्ड में निर्गत 15269 Job Card के विरुद्ध मात्र 2317 Job Card का Verification किया गया है, जो लक्ष्य का मात्र 15% है।

आरोप सं0-5.Status of AWCs भारत सरकार द्वारा 15 मार्च तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन को पूर्ण करने का निदेश प्राप्त हुआ है, परन्तु बरकट्टा प्रखण्ड में एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण दिनांक-19.04.2017 तक पूर्ण नहीं है तथा योजनाओं की प्रगति भी काफी धीमी है।

आरोप सं0-6.Scheme Pendency विभाग द्वारा पत्रांक-(N)2877 दिनांक-24.11.2016 से लंबित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में Close करने का निदेश दिया गया था परन्तु बरकट्टा प्रखण्ड में अभी भी वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व की 63, वित्तीय वर्ष 2015-16 की 215 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की 506 योजनाओं को पूर्ण कर Close नहीं किया गया है।

आरोप सं0-7.Geo-MGNREGA- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा Geo-MGNREGA के तहत सृजित परिसम्पतियों की Geo-Tagging करने का निदेश दिया गया था, परन्तु बरकट्टा प्रखण्ड में कुल सृजित परिसम्पतियों के विरुद्ध मात्र 4% परिसम्पतियों की ही Geo-Tagging की गयी है।

उक्त आरोपों के लिए श्री नारायण से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। समीक्षोपरांत संकल्प सं0-453(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-252, दिनांक 31.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच सह संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1, 2, 4 एवं 7 पर आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य बताया गया है, जबकि आरोप संख्या-3, 5 एवं 6 पर स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं बताया गया है। साथ ही उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निष्कर्षतः आरोपी पदाधिकारी पर गठित आरोप आंशिक प्रमाणित होता है।

श्री नारायण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4975, दिनांक 04.08.2022 एवं स्मार पत्रांक-1041, दिनांक 23.02.2023 द्वारा श्री नारायण से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है, परन्तु उनका द्वितीय कारण पृच्छा अब तक अप्राप्त है।

मामले की समीक्षा में पाया गया कि श्री नारायण को अपना पक्ष/जवाब समर्पित करने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आरोप-पत्र पर पूर्व में भी इनको स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया तथा वर्तमान में पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री जय प्रकाश नारायण, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAI PRAKASH NARAYAN JHK/JAS/153	श्री जय प्रकाश नारायण, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
